

गोड्डा में नकली शराब का बड़ा कारोबार, दो वाहनों से 500 बोतल बरामद



बिहार में शराब बंदी कानून लागू होने के बावजूद तस्कर नये-नये हथकंडे अपनाकर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। नववर्ष के मौके पर जश्न और शराब पार्टी की तैयारी को नाकाम करने के लिए गोड्डा पुलिस और उत्पाद विभाग सक्रिय हैं। हाल ही में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक ने गोड्डा में नकली शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। पथरगामा थाना क्षेत्र के चिलकारा गांव के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान एक बोलैरो वाहन को रोका गया, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब रखी हुई थी। वाहन में सवार तीन शराब तस्कर पप्पू यादव, विकास कुमार और ब्रजेश कुमार (भागलपुर निवासी) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि एक अन्य वाहन भी नकली शराब लेकर बेगूसराय की ओर जा रहा है। महागामा थाना क्षेत्र के महादेव बथान के पास दूसरी वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके चालक ने अपना नाम रॉकी कुमार (बेगूसराय निवासी) बताया। दोनों वाहनों की तलाशी लेने पर कुल 500 बोतल (225 लीटर) अवैध शराब बरामद हुई। सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि शराब की बोतल पर झारखंड सरकार का सील लगा था, लेकिन स्टीकर पर बंगाल लिखा था। प्रारंभिक जांच में यह शराब नकली प्रतीत हो रही है। उत्पाद निरीक्षक ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर महंगे शराब बेचने की नियत से तस्करों ने यह नकली शराब बिहार भेजी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व गोड्डा नगर थाना पुलिस ने भी नकली शराब की खेप बरामद की थी। अब गोड्डा धीरे-धीरे नकली शराब कारोबार का केंद्र बनता जा रहा है।

Source: <https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/godda/fake-liquor-was-sent-to-bihar-with-the-intention-of-selling>